श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 14.10.2017 को वापू मध्य विद्यालय, खगड़िया में अवस्थित जिला पुस्तकालय के कृत्त निरीक्षण टिप्पणी।

दिनांक 14.10.2017 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया भी उपस्थित थे।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि Visitor'S Register नहीं खोला गया है। इसके अलावे निबंधित पाठकों के लिये किताव निर्गत् पंजी एवं सदस्यता पंजी नहीं खोली गई है। उपस्थित श्री संदीप कुमार, पुस्तकाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि इन पंजियों को खोलें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे। Visitor'S Register को बरामदे के टेबुल पर कर्मी की अभिरक्षा में रखवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/पुस्तकाध्यक्ष)

जिला पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के कैटलग नहीं हैं। पुस्तकाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर पुस्तकों के कैटलग तैयार करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।.

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/पुस्तकाध्यक्ष)

निरीक्षण के क्रम में पुस्ताकध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जिला पुस्तकाध्यक्ष खगड़िया के अलावे बेगूसराय एवं सहरसा के भी प्रभार में हैं। स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री संदीप कुमार एवं श्री कृष्ण मोहन लाल, पुस्तकाध्यक्ष को जिला पुस्तकालय, खगड़िया में पालीवार प्रतिनियुक्त किया गया है। पुस्तकाध्यक्षों को निदेश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से पुस्तकालय को खोलेंगे एवं साफ–सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : पुस्तकाध्यक्ष)

निरीक्षण के दौरान उपस्थित पुस्तकाध्यक्ष द्वारा जिला पुस्तकालय के सदस्यता हेतु बनाये गये नियमावली की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। निदेश दिया गया कि वार्षिक सदस्यता शुल्क 300/– (तीन सौ) रूपये एवं आजीवन सदस्यता शुल्क 2,500 (दो हजार पाँच सौ) रूपये रखा जाय। शुल्क की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण (N.S.C.) के जरिये प्राप्त किया जाय जो Pledged हो। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि सदस्यता के संबंध में नियमावली को सरल बनाते हुए तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनोपरान्त भेंजे। तत्पश्चात् ही पुस्तकाध्यक्ष इसे मुद्रित करायेंगे।

(अनुपालन : अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/पुस्तकाध्यक्ष)

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कुछ फाउन्डेशन के द्वारा पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वैसे फाउन्डेशन से सम्पर्क कर जिला पुस्तकालय हेतु किताबें उपलब्ध कराने का अनुरोध करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया)

पुस्तकाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि एक बार में एक सदस्य को एक पुस्तक 15 दिनों के लिए ही निर्गत् करेंगे।

(अनुपालन : पुस्तकाध्यक्ष)

पुस्तकाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि पुस्तकालय में मैगजीन एवं दैनिक समाचार–पत्रों को भी रखें।

(अनुपालन : पुस्तकाध्यक्ष)

पुस्तकों की संख्या को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पुस्तकों को रखने के लिए स्टैण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी / पुस्तकाध्यक्ष)

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जिला पुस्तकालय के पुस्तकों के साथ–साथ वापू मध्य विद्यालय, खगड़िया के पुस्तकालय के पुस्तकें भी रखी हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विद्यालय की पुस्तकों को जिला पुस्तकालय से हटाकर संबंधित विद्यालय में रखवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी / पुस्तकाध्यक्ष)

ह0/–
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 2303 / गो0, दिनांक 16-10-17

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया / जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया / जिला पुस्तकाध्यक्ष, खगड़िया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया / जिला आई0टी0मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।